



फर्द अहकाम

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायाधीश मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (जिला अलवर) राजस्थान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <hr/> अनूपसिंह बनाम मुंशी सिंह <hr/> प्रकरण संख्या 179/20	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ- हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	--	--


11-2-23. प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण नोट प्रेस कर लिया है। पक्षकार अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता/चाहते है अतः प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर फैसल करने की अनुशंषा की जाती है।


 सदस्य
 राष्ट्रीय लोक अदालत


 अध्यक्ष
 राष्ट्रीय लोक अदालत

13/2/23

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच से प्राप्त हुआ। वादी अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 नोट प्रेस के आधार पर नोट प्रेस स्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जमा अभिलेखागार हो। सुनाया गया।


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

